कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी, चन्दौली।

पत्र संख्या: एसटी /एफएस/ आई-41/ (स्कूल/ बी)/2021 दिनांक: 28-12-2021

सेवा में

प्रबंधक

बी.पी.एस. पब्लिक स्कूल
जी. टी. रोड. नौबतपुर,
चन्दौली, उ. प्र.

विषय:- विद्यालय भवन बी.पी.एस. पब्लिक स्कूल, जी.टी.रोड. नौबतपुर, थाना सैयदराजा, चन्दौली, जीव रक्षा प्रणाली एवं अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण कर अग्नि सुरक्षा पत्र के जारी किये जाने के सम्बन्ध में-

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक: 853 दिनांक:15-12-2021

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के अनुसार विद्यालय भवन बी.पी.एस. पब्लिक स्कूल, जी.टी.रोड. नौबतपुर, थाना-सैयदराजा, चन्दौली, का स्थलीय निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी चंदौली द्वारा किया गया तो अग्निशमन व्यवस्था संतोषजनक व कार्यशील दशा में पाया गया जो निम्न है-

1. डी0सी0पी0 फायर एक्सटिंग्यूशर क्षमता 10 कि.ग्रा 04 अदद |
2. ए0बी0सी0 फायर एक्सटिंग्यूशर क्षमता 05 कि.ग्रा 08 अदद |
3. सी0ओ0टू0 फायर एक्सटिंग्यूशर क्षमता 4.5 कि.ग्रा 01 अदद |
4. फायर बकेट क्षमता 9 ली. 04 अदद |
5. धूम्रपान निषेध बोर्ड (नो स्मोकिंग) 01 अदद |

A. माननीय सर्वोच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या: 483/2009 में पारित आदेश दिनांक: 13.04.2009 का पालन अनिवार्य होगा, जिसमे स्पष्ट रूप से निर्देशित है कि :-

1. किसी भी स्कूल को यह सुनिश्चित किया जाय कि स्कूल का भवन नेशनल बिल्डिंग कोड में प्रावधानित सुरक्षा मानकों के अनुरूप है |
2. विद्यालय के भवन में ज्वलनशील एवं जहरीले पदार्थ न रखे जाय और यदि उन्हें रखना अति आवश्यक हो तो उन्हें सुरक्षित ढंग से रखने का उपाय किया जाय|
3. समय- समय पर विद्यालय के भवन की मजबूती की समीक्षा सुनिश्चित की जाय| सम्बंधित अधिकारी एवं अभियंता इस सम्बन्ध में नेशनल बिल्डिंग कोड के मानकों के अनुरूप सुरक्षा प्रमाण- पत्र केवल समुचित जाँच उपरांत ही प्रदान करेंगे | नियमों के विरुद्ध यदि प्रमाण-पत्र जारी किये जाते है तो इस सम्बन्ध में दोषी पाए गए कर्मियों के विरुद्ध अनुसाशनात्मक कार्यवाही की जाएगी |

--2/ पर

B. उक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित बिन्दुओं का पालन करना भी अनिवार्य होगा।

1. विद्यालय के स्टाफ तथा शिक्षकों को अग्निशमन उपकरणों और सुरक्षा उपायों के लिए प्रशिक्षित किया जाय।
2. शिक्षा (6) अनुभाग के शासनादेश संख्या:1528 / 09-06-2008 दिनांक: 20 जुलाई'2009 का पालन अनिवार्य होगा।
3. फायर सर्विस मुख्यालय उ0प्र0 लखनऊ द्वारा निर्गत आदेश पत्र संख्या:एफ0एस0-1076/2012 दिनांक: 5, अक्टूबर'2012 का पालन अनिवार्य होगा।
4. नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ़ इंडिया-2005 के मानकों का उल्लघन किसी भी दशा न किया जाय।
5. उपरोक्त शर्तों का विचलन होने पर यदि कोई अप्रिय घटना घटित होती है तो उसकी जिम्मेदारी स्वामी/ प्रबंधक/ प्रधानाचार्य की होगी।

अतः उपरोक्तानुसार बी.पी.एस. पब्लिक स्कूल, जी.टी.रोड, नौबतपुर, थाना-सैयदराजा, चन्दौली, भवन में अधिष्ठापित जीव रक्षा प्रणाली एवं अग्निशमन सुरक्षा व्यस्थाओं का इस कार्यालय का पत्र संख्या: एसटी /एफएस/ आई-41/ (स्कूल/ बी) / 2021 दिनांक: 28-12-2021 के द्वारा अग्निशमन व्यस्थाओं का अग्निशमन सुरक्षा पत्र निर्गत किया गया है जिसके क्रम में जीव रक्षा प्रणाली एवं अग्निशमन सुरक्षा व्यस्थाओं को सदैव कार्यशील दशा में बनाये रखने एवं प्रत्येक वर्ष अग्निशमन विभाग से निरीक्षण/ परीक्षण कराकर विहित फीस राजकीय कोष में जमा कराकर प्राप्त पत्र का नवीनीकरण कराये जाने की शर्त पर अग्निशमन सुरक्षा व्यस्थाओं की क्रियाशीलता का नवीनीकरण प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है। जो निर्गत तिथि से एक वर्ष तक के लिए वैध माना जायेगा।

उपरोक्त किसी भी अग्निशमन व्यवस्था/ जीव रक्षा प्रणाली अकार्यशील होने पर निर्गत अग्निशमन प्रमाण पत्र स्यतः निरस्त समझा जायेगा।

२७/१२/२०२१

अग्निशमन अधिकारी
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
चन्दौली।